

2022/153

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारां (राज.)

क्र/प्राथम्य पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
7/22	इजराय	मदनी वेवडी	इ.031
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
उर्मिला बाई	बनाम	कंचन बाई वगै	

वकील :- रा.केश.गा.रा.व. ६३वो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

30/12

अभिमाषक प्रार्थी द्वारा इजराय इस न्यायालय में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार को वास्ते पालना तहरीर जारी की जावे कि यदि उक्त प्रकरण में किसी अपर कोर्ट का स्थगन आदेश न हो ता मुताबिक निर्णय पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में मिजवावे। पत्रावली दिनांक 18/10/22 को पेश हो। ✓

18/12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के ~~अभिमाषक~~ होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7/12/22 को पेश हो।

94  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारां)

7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील डि.डी.ए. उपास्थित। तहसील से पालना रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली वास्ते इजराय पालना रिपोर्ट दिनांक 16/01/23 को पेश हो। my

16/12/23

पत्रावली पेश हुई। वकील डि.डी.ए. उपास्थित। TOR ३४३३ से पालना रिपोर्ट अग्रस्त। TOR ३४३३ को पुनः लिखने जावे। वास्ते पालना रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 15/3/23 को पेश हो। my

15/3/23

अभिमाषक 20/11/23 वा. होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/4/23 को पेश हो।

94  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छवड़ा (बारां)




कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

6-24

अपनी प्रौढासीन अधिकारी के अन्य कार्य में मुक्ति का अधिकार  
 व्यवस्था होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में  
 दिनांक 29-7-24 को पेश हो।

  
 न्यायालय उपरखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (धारा)

29-7-24

पत्रावली पेश हुई नवीन विधिगत उप.। नवीन  
 विधिगत कर कर्ता की इकराफ की पाठ्य  
 से पुकी है उकराफ में किसी उकराफ की कर्ता  
 कर्ता पाठ्य है उकराफ किमी उकराफ की कर्ता  
 सेप नही है विधिगत का उकराफ से सेप किया  
 जाय है पत्रावली में लख उकराफ सेप का नवीन  
 नवीन के दाखिल इकराफ है

